कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, रंग मंदिर के पास, गांधी चौक, छोटापारा, रायपुर (छ.ग.)

Pho. no. 0771-2535780,90, Fax. 077172227395, E-mail- dc_rmc@rediffmail.com

/ / ज्ञापन / /

कमांक 2737 / भ.नि.अ.प्र. / न.पा.नि / 2021 रायपुर दिनांक 6 / 9 / 2021

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम
नगर निवेश विभाग

विषय :– **कोविड–19 के संकमण के रोकथाम एवं मरीजों के ईलाज हेतु बनाये गये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था का कार्य हेतु आमंत्रित अल्पकालीन निविदा सूचना के प्रकाशन बाबत्।**

—— 000 ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि कोविड–19 के संकमण के रोकथाम एवं मरीजों के ईलाज हेतु बनाये गये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था का कार्य हेतु अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना 02 प्रतियों में भेजी जा रही है। उक्तानुसार निविदा आमंत्रण सूचना किन्ही दो सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जावें। प्रकाशनोंपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्थानीय समाचार पत्रों की 2–2 प्रतियां उपलब्ध करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क............/ भ.नि.अ.प्र. / न.पा.नि / 2021 रायपुर दिनांक ..../ ....../ 2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, नगर पालिक निगम, रायपुर को कार्यालय के वेबसाइड में अल्पकालीन निविदा आंमत्रण सूचना अपलोड करने हेतु।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

// अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना //

कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं मरीजों के ईलाज हेतु बनाये गये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था का कार्य

क्रमांक –2739/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2021 रायपुर दिनांक 6/4/2021

रायपुर शहर स्थित विभिन्न अस्थायी कोविड हॉस्पिटलों में भोजन व्यवस्था का कार्य किया जाना है। इस हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत संस्था/एन.जी.ओ./चेरीटेबल आर्गेनाइजेशन से सीलबंद निविदा फार्म 'बी' में द्वि लिफाफा पद्धति से दिनांक 10.04.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट/अथवा by Hand के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

इस हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन अवधि एवं समय पर मुख्यालय के नगर निवेश शाखा से दिनांक 09.04.2021 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 10.04.2021 को अपरान्ह 5:00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।

क.	निविदा विवरण	आगणित राशि (रू. लाख में)	अमानति राशि (रूपये हजार में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)
1.	विभिन्न कोविड सेंटर पर भोजन प्रदाय	**70.00**	**70.00**	750/–

टीपः– इस संबंध में अन्य जानकारी, नियम एवं शर्तें नगर पालिक निगम, मुख्यालय भवन के कक्ष क्रमांक 311 से प्राप्त की जा सकती है।

नगर पालिक निगम
नगर निवेश विभाग

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

दर बाबत् निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं मरीजों के ईलाज हेतु बनाये गये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था का कार्य।**

––––000––––

संदर्भित निविदा अंतर्गत रायपुर शहर स्थित विभिन्न अस्थायी कोविड हॉस्पिटलों में भोजन व्यवस्था का कार्य हेतु रू. ..../– प्रति दिवस जिसमें बेकफास्ट, लंच, डिनर एवं चाय, बिस्कुट सम्मिलित है। जिस कार्य हेतु कुल रू......................../– (अक्षरी... . रूपये) निविदा दर समस्त कर सहित हमारे द्वारा दिया जा रहा है। निविदा की समस्त शर्तो का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम एवं मरीजों के ईलाज हेतु बनाये गये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें

(1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

(2) सीलबंद निविदाएं 02 लिफाफा पद्धति से देना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का एफ.डी.आर., ठेकेदार के पंजीयन की छायाप्रति व काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र एवं समस्त तकनीकी दस्तावेज यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति रहेगा। लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र 'ब' एवं दर होगा। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। निविदादर में काट-छाट मान्य नहीं होगा।

(3) निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।

(4) अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी किया गया हो एवं जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।

(5) यह कि अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिस एजेंसी/ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी ।

(6) सुबह का नास्ता प्रातः 08:30 बजे तक, दोपहर का खाना अपरान्ह 01:00 बजे तक एवं रात्रि का खाना 08:00 बजे तक प्रदाय किया जाना होगा।

(7) भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा। आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किये जायेगें जिसका पालन सफल निविदाकार एजेंसी को किया जाना होगा।

(8) एजेन्सी/पंजीकृत ठेकेदार द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लघंन करने पर 15 दिनों की सूचना (नोटिस) पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

(9) निविदा अस्थायी कोविड सेंटरों पर भोजन व्यवस्था हेतु आमंत्रित की गई है।

(10) निविदाकार को कोविड केयर सेंटर में 50,000 नग फूड पैकेट या अधिक प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए।

(11) विभिन्न कोविड के अस्थायी हॉस्पिटलों में प्रतिदिन लगने वाले भोजन की संख्या की सूचना व्हाट्सअप के माध्यम से दी जायेगी।

(12) भोजन विभिन्न अस्थायी कोविड हॉस्पिटलों में पहुचाकर देना होगा। इस हेतु परिवहन के लिए अतिरिक्त राशि नही दी जायेगी।

(13) प्रतिदिन प्रदाय किये जाने वाले भोजन की संख्या का रिकार्ड विभिन्न कोविड अस्पतालों के अनुसार रखना होगा। जिसको समय–समय पर मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

(14) निविदाकार एजेंसी के पास आई.एस.ओ. सर्टिफाइड किचन की सुविधा होनी चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(15) निविदा में प्रस्तुत दर समस्त कर मिलाकर होगा। जी.एस.टी. हेतु अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

(16) किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार द्वारा देय होगा।

(17) किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।

(18) कार्य की मात्रा को कम अथवा अधिक करने हेतु आदेश देने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(क्रमशः पृष्ठ ....02)

(19) निगम हित/जनहित में सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल करने एवं नया जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार नगर निगम आयुक्त को होगा।

(20) दर स्वीकृत होने के सूचना यथासमय दी जायेगी। तत्पश्चात् 24 घंटे के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा नहीं करने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जाकर अमानती राशि राजसात कर संस्था को ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जायेगी।

(21) कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर के नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

(22) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(23) समस्त दस्तावेजों में निविदाकार का सील एवं हस्ताक्षर अनिवार्यतः होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज मान्य नहीं किया जायेगा।

(24) अगणित संख्या/राशि अनुमानित है। इसमें आवश्यकतानुसार कितनी भी कमी या वृद्धि हो सकती है।

(25) आवश्यकता पड़नें पर नगर निगम अन्य एजेंसियों को भी इसी दर पर या कम दर पर कार्य देने में स्वतंत्र होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)